

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ.ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵੰ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ" ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,
21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-110008
H.O. Account & Audit Department
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

ਸੰਦਰਭ/Ref. No.

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2017-18

ਦਿਨਾਂਕ/Dated:

February 26, 2018

To,

Bombay Stock Exchange Limited,
Department of Corporate Services,
25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001.
SCRIP ID : PSB
SCRIP CODE : 533295

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051.
SYMBOL: PSB SERIES: EQ

Dear Sir,

Reg: Publication of Notice for Extraordinary General Meeting on 19.03.2018

This is in continuation to our letter dated 16/02/2018 informing stock exchanges about Extraordinary General meeting of the Bank scheduled to be held on Monday, 19th March 2018 at 10.00 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No.3, Sector 3, Rohini, Delhi 110085.

We are forwarding a copy of notice of Extraordinary General Meeting published in Business standard (English newspaper and Hindi newspaper) on 24.02.2018.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]
Company Secretary



Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008. www.psbindia.com

Where service is a way of life

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 57 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PUNJAB & SIND BANK will be held on Monday, 19th day of March, 2018 at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No. 3, Sector 3, Rohini, Delhi - 110085, to transact the following business:

Item No. 1

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Regulations") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed, stipulated or imposed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI (ICDR) Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to create, offer, issue and allot 16,49,15,966 Equity Shares to the President of India (Government of India) of the face value of Rs. 10/- each aggregating up to Rs 785 crore on preferential basis at a issue price of Rs. 47.60 per Equity Share (including premium of Rs. 37.60 per Equity Share) determined in accordance with Regulation 76 of SEBI (ICDR Regulations)."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 17.02.2018.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification(s) in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of the Resolution(s) shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements, as required under "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines and/or any other law that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the Resolutions, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director (CMD) / Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions."

Item No. 2

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Regulations") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed, stipulated or imposed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI (ICDR) Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to:

- create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of face value of Rs 10/- in aggregate up to Rs 1215 crore (Rupees One Thousand Two Hundred Fifteen crore) Only) inclusive of such premium as may be fixed as per SEBI Guidelines or such other amount as may be approved by GOI & RBI, by way of Public Issue (i.e. Follow on Public Offer) / Right Issue / Qualified Institutional Placement(s) / and/or any other mode or a combination(s) thereof in one or more tranches within a period of twelve months or any other timeline specified by SEBI regulations, subject to the condition that the GOI shareholding in equity capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time.
- to decide the quantum & mode(s), number of tranches, prices, discount/premium, reservations to employees, existing shareholders and or any other persons / class of investor as may be decided by the Board and as provided under SEBI Regulations and the timing of such issue(s), at its discretion subject to the applicable rules and regulations and GOI & RBI approval.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification(s) in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted by way of Public Issue (Follow on Public Offer) / Right Issue / Qualified Institutional Placement(s) / Preferential Issue / or any other mode or a combination(s) thereof in one or more tranches within a period of twelve months or any other timeline specified by SEBI regulations in pursuance of the Resolution(s) shall be issued in dematerialized form, except for Rights issue where the shares may be issued in both the physical and dematerialized form, and the equity shares so issued and allotted to NRIs, FIIs and / or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/Rules & Regulations issued by RBI and / or SEBI. The equity shares to be issued and allotted shall be subject to lock-in requirements, as required under "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines and/or any other law that are in force at the time of such declaration."


"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, the Board or the Committee of the Board constituted for the purpose shall in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors have the authority to make the allotment of equity shares only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) at a discount of not more than 5% (five percent) on the price determined in accordance with the pricing formula under SEBI (ICDR) Regulations 2009 and the relevant date for the purpose shall be in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations 2009, as amended from time to time.

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the Resolutions, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director (CMD) / Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or Executive Director(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

(Fareed Ahmed)



E-VOTING

- The remote e-voting period begins on Friday, 16th March, 2018 at 10.00 a.m. and ends on Sunday, 18th March 2018, at 5 p.m. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 12th March 2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M., 18th March 2018. Once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 12th March, 2018.
- Any person who acquires shares of the Bank and become Member of the Bank after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date, i.e. 12th March, 2018 may write to Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India (P) Ltd., or send an email at helpdesk.evoting@cdslindia.com to obtain login ID and password for participating in e-voting.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to exercise their voting rights at the meeting through ballot paper.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The results declared, alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.psbindia.com and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges whereat the equity shares of the Bank are listed.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 25th floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NIM Joshi Marg, Lower Parale (E), Mumbai-400013, Phone-1800225533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, 44-Community Centre, 2nd floor, Naraina Indl Area, Phase-I, New Delhi-28 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

CERTIFIED TRUE COPY





पंजाब सिंध बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008. www.psbindia.com

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बंधकों) अधिनियम 2008 के विनियम 57 के अनुसंधान में एतद्वारा स्थापित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टॉक प्रशिक्षण कॉलेज, संरचनागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सेक्टर 3, रोडिणी, दिल्ली-110005 में सोमवार, 19 मार्च, 2018 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

मद संख्या 1

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद "योजना" कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बंधकों) अधिनियम, 2008 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में "अधिनियम" कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसंधान में तथा यदि आवश्यक हो तो भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (भा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूरी निर्णय एवं प्रकटन अपेक्षाएं) अधिनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (एल.ओ.डी.आर.) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं तिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में "निदेशक मंडल" कहा गया है), जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो / की जानी हो, प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल द्वारा इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषण अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर है, जो रु. 785 करोड़ के शेयरों को अधिमान के आधार पर निर्धारित मूल्य रु. 47.60 प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें रु. 37.60 का प्रीमियम सम्मिलित है), सेबी आईसीडीआर अधिनियम के विनियम 76 के अनुसंधान में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 16.49.15.006 शेयर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और उनका आवंटन करें।"

"आगे संकल्प दिया गया कि निर्णय मूल्य निर्धारित करने की संबंधित तिथि 17.02.2018 है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्णय, आवंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प(ओं) के अनुसंधान में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आवंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किया जाएगा और सेबी आईसीडीआर अधिनियमों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों की शर्तों के अंतर्गत होने जैसा कि "सेबी आईसीडीआर अधिनियमों" की अपेक्षा के अनुसार अवसूचना अधि की अनिवार्यताओं के अधीन होने और ऐसी घोषणा के समय प्रयुक्त सांख्यिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित, यदि घोषित हो) समान माने जाएंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, कियाएं, मामलों और विषय पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझे किनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्णय से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विवेकों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (सीएमडी)/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यकारी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपयुक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझे।"

मद संख्या 2

निम्न को एक विशेष प्रस्ताव(ओं) के रूप में विचार करने के लिए और यदि फिट समझा जाता है तो बगैर संशोधन(ओं) के पास करने के लिए:

"संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद "योजना" कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बंधकों) अधिनियम, 2008 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में "अधिनियम" कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसंधान में तथा यदि आवश्यक हो तो भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (भा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूरी निर्णय एवं प्रकटन अपेक्षाएं) अधिनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (एल.ओ.डी.आर.) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं तिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में "निदेशक मंडल" कहा गया है), जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो / की जानी हो, प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल द्वारा:

क. इक्विटी शेयर वित्तपोषण अंकित मूल्य रूप में 10.00 प्रति शेयर है, जिनकी कुल राशि रु. 1215 करोड़ (एक हजार दो सौ पंद्रह करोड़ रूपए मात्र) ऐसे प्रीमियम सहित जैसा कि उक्त राशि पर अथवा ऐसी अन्य राशि पर जैसा कि भारत सरकार एवं भा.रि. बैंक द्वारा अनुमोदित हो, सार्वजनिक निर्णय द्वारा (अर्थात् सार्वजनिक प्रस्ताव का अनुसंधान)/राइट इश्यू/अहर्ता प्राप्त संस्थाओं को आवंटन(ओं) और/अथवा अन्य किसी साधन से या सहयोग से या 12 महीने की अवधि अथवा सेबी अधिनियम द्वारा निर्धारित अन्य किसी समय सीमा के अन्दर तक एक या कई अवसरों में, इस शर्त के साथ कि किसी भी वृत्त भारत सरकार की शेयर धारिता 52% से कम नहीं हो।

ख. सभी अधिनियमों और ऐसे निर्णय की समय-सारणी, इसको विवेक पर जारी करने, लागू नियमों और अधिनियमों तथा उसके सूचीबद्ध करने जैसा कि भारत सरकार एवं भा.रि. बैंक के अनुमोदन तथा मात्रा एवं प्रकार(ओं), अखलाओं की संख्या, मूल्य, वित्तपोषण/प्रीमियम, मामलों को आरक्षण, वर्तमान शेयरधारक और/या अन्य कोई व्यक्तियों/निदेशकों का वर्ग जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्णय, आवंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प(ओं) के अनुसंधान में सार्वजनिक निर्णय द्वारा (अर्थात् सार्वजनिक प्रस्ताव का अनुसंधान)/राइट इश्यू/अहर्ता प्राप्त संस्थाओं को आवंटन(ओं) और/अथवा अन्य किसी साधन से या सहयोग से एक या अधिक अवसरों में 12 महीने की अवधि अथवा सेबी अधिनियमों द्वारा निर्धारित किसी अन्य समय सीमा के अन्दर तक अधिमान आधार/अन्य किसी तरीके से जारी किए जाने वाले और आवंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किया जा सकता है और एन.आर.आई., एफ.आई.आई., राइट इश्यू को छोड़ कर जहाँ शेयरों को दोनो मूल तथा अमूर्त रूप में जारी किया जा सकता है और एन.आर.आई., एफ.आई.आई., और/या पात्र विदेशी निवेशकों को जो कि भा.रि. बैंक और/या सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों की शर्तों के अंतर्गत होने जैसा कि "सेबी आईसीडीआर अधिनियमों" की अपेक्षा के अनुसार अवसूचना अधि की अनिवार्यताओं के अधीन होने और ऐसी घोषणा के समय प्रयुक्त सांख्यिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित, यदि घोषित हो) समान माने जाएंगे।"

"यह भी संकल्प दिया गया कि अहर्ता प्राप्त संस्थागत प्रोफेशनल के मामलों में, इस प्रयोजन के लिए गठित निदेशक मंडल अथवा बोर्ड को उक्त प्रबंधकों की सलाह के साथ और/या अन्य सलाहकारों को अहर्ता प्राप्त खरीददारों को सेबी आईसीडीआर अधिनियम, 2009 के अंतर्गत मूल्य मामलों द्वारा निर्धारित मूल्य पर 5% (पांच प्रतिशत) तक के डिस्काउंट पर इक्विटी शेयरों को आवंटन करने का अधिकार होगा तथा समय-समय पर संशोधित सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में संबंधित तिथि होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझे किनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्णय से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विवेकों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (सीएमडी)/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यकारी निदेशक या निदेशकों की समिति अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपयुक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझे।"

ई-वोटिंग

- दिनांक 16.03.2018, दिन शुक्रवार को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि आरम्भ होगी और दिनांक 18.03.2018, दिन रविवार को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 12.03.2018 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अमौलिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी और दिनांक 18 मार्च, 2018 को 5 बजे के बाद रिमोट ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा निर्णय पर एक दफा मतदान कर दिया जाता है, सदस्य को इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बैंक की प्रदत्त ईविटटी शेयर पूंजी के समानुपात में सदस्यों के अंतिम तिथि 12 मार्च, 2018 को उनके द्वारा धारित शेयरों पर मतदान अधिकार होंगे।
- नोटिस के प्रेषित करने के बाद, कोई भी व्यक्ति जो बैंक के शेयर अधिग्रहित करता है और बैंक का सदस्य बन जाता है तथा अंतिम तिथि अर्थात् 12 मार्च, 2018 को शेयरधारिता के संबंध में रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर ट्रान्सफर एजेंट, मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा) लि. को लिख सकता है या ई-मतदान में सहभागिता करने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड लेने हेतु ई-मेल कर सकता है।
- असाधारण सामान्य बैठक में मतदान पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में सहभागिता करने वाले जिन सदस्यों ने ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।
- जिन सदस्यों ने ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान किया है, असाधारण सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकते हैं लेकिन अपना वोट पुनः डालने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद विवेचनाधिकारी की समेकित रिपोर्ट के साथ परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com और सी.डी.एस.एल. की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। परिणामों को उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी तुरंत अद्ययित किया जाएगा जहाँ पर बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।
- यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर ई-वोटिंग मेनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या श्री राकेश दत्तो, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 25वां मार्ग, किंग एं मार्टीन पर्युचर एक्स, माफतलाल मिल्स कॉम्प्लेक्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर फेरल (ई) मुम्बई-400043, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक इनटाईम प्रा. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-28 दूरभाष नं. 011-41410592, 41410593 या dehi@linkintime.co को ई-मेल करें।

